


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियलस जज
17 ⁰⁴ /25	<p>पत्रावली पेश हुई। आधी-वादी अनुपस्थित। वादी भी अनुपस्थित। तीन बार कक- कक कर आवाजे लगाई गई, लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण अन्तर्गत आदेश 9 नियम 8 CPC अदम हाजिरी अदम पैवकी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर है।</p>




 17/4/25

उपखण्ड अधिकारी
 पिठावा, जिला दारवाड (सक)

